

१०

श्री विरमल सिंह - प्रथम
श्री कंचन खीचड़ - अप्रथम

उपस्थित अधिकारी

प्रथम पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1956

अप्रथम पत्र



12. तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
राजस्थान
11. कानाराम आयु 65 वर्ष
पुत्रगण नारायण जाति भैरवाल निवासी ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला
10. भगवानाराम आयु 75 वर्ष
फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
9. तारवन्द आयु 50 वर्ष दत्तक पुत्र बालाराम जाति जाट ग्राम बिरानिया तहसील
जिला सीकर राजस्थान
8. फुसा आयु 85 वर्ष पुत्र वतक
4 लमायत 8 समस्त जाति भैरवाल निवासीगण ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर
7. निरधारी आयु 80 वर्ष पुत्र वतक
6. सुभाष आयु 40 वर्ष पुत्र रामेश्वर
5. सोहनी देवी आयु 60 वर्ष स्त्री रामेश्वर
4. दीनाराम आयु 40 वर्ष दत्तक पुत्र सुखाराम
राजस्थान
- 1 ता 3 जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बिरानिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर
3. सन्धीकवर स्त्री जितेन्द्रसिंह
2. महावीरसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र धनसिंह
1. कन्धीसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र धनसिंह

बनाम

प्रथम

द्वितीय आयु 66 वर्ष पुत्र मालाराम जाति भैरवाल निवासी कारंगा बड़ा तहसील
फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर

संख्या नम्बर - 15/2017

जिलाधिकारी का नाम

देवी सीमा आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)



कृषि विभाग
अधिकारी

Handwritten signature

आवश्यक है।

रास्ता है जिसका 10 फीट चौड़ा के बजाय 15 फीट चौड़ा रास्ता किया जाना न्यायोचित व अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता ही एकमात्र निकटतम व आत्यन्तिक आवश्यक व खसरा नंबर 34 व खसरा नंबर 30 व खसरा नंबर 33/1, 33/2 में से प्रचलित रास्ते के व 33/1 व 33/2 में स्थित एकमात्र 10 फीट रास्ता खसरा नंबर 35/1 व 35/2 व 35/3 प्राप्ति उक्त खसरा नंबर 35/1, 35/2, 35/3 व खसरा नंबर 34 व खसरा नंबर 30

जाल रंग से क,ख,ग के रूप में दर्ज किया है।

करना चला आ रहा है जो 10 फीट चौड़ा, रास्ता मौके पर मौजूद है। जिस संलग्न नक्शे में नंबर 30 व खसरा नंबर 33/1 व 33/2 में से आवागमन करके अपनी कृषि भूमि में प्रवेश की दृष्टिणी सीमा में घुसकर आगे खसरा नंबर 35/2 व 35/3 व खसरा नंबर 34 व खसरा कदीमी एकमात्र 10 फीट चौड़ा रास्ता ग्राम कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 35/1 प्राप्ति की कृषि भूमि खसरा नंबर 461 में आने जाने का अपने पूर्वजों के समय से ही

रिकॉर्ड्ड खातेदार काश्तकार है जिसका खाला उनके नाम बना हुआ है।

नाथा तथा खसरा नंबर 33/2 का खातेदार काश्तकार अप्राप्ति संख्या 10 अनाजाना पुत्र नाथा 9 ताराबन्द है तथा खसरा नंबर 33/1 के खातेदार काश्तकार अप्राप्ति संख्या 11 काना पुत्र हो युका है उक्त भूतक सुन्दरी के हिस्से की भूमि का इकदार व उत्तराधिकारी अप्राप्ति संख्या 9 ताराबन्द है खसरा नंबर 30 में दर्ज खातेदार सुन्दरी स्त्री स्व. बालराम का देहान्त संख्या 9 ताराबन्द है खसरा नंबर 30 रकबा 1.7500 हैक्टर भूमि के खातेदार अप्राप्ति कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 1.7500 हैक्टर अप्राप्ति कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि के इकदार व उत्तराधिकारी अप्राप्ति संख्या 5 व 6 है। तथा ग्राम रामेश्वर के हिस्से की भूमि के इकदार व उत्तराधिकारी अप्राप्ति संख्या 5 व 6 है। तथा ग्राम खसरा नंबर 34 के खाते में दर्ज सहिस्तेदार रामेश्वर पुत्र वतक का देहान्त हो युका है उक्त अप्राप्ति संख्या 4 से 8 के नाम बना हुआ है तथा कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 2.8700 हैक्टर कृषि भूमि का खाला हैक्टर कृषि भूमि का खाला अप्राप्ति संख्या 2 महावीरसिंह के नाम बना हुआ है तथा खसरा नंबर 35/2 रकबा 1.0100 हैक्टर भूमि का खाला संख्या एक के नाम बना हुआ है तथा खसरा नंबर 35/1 रकबा 1.5700 हैक्टर कृषि भूमि का खाला अप्राप्ति संख्या 3 संतोष कंवर के नाम बना हुआ है तथा ग्राम हैक्टर कृषि भूमि का खाला अप्राप्ति संख्या 3 संतोष कंवर के नाम बना हुआ है तथा ग्राम 77 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड्ड खातेदार अप्राप्ति संख्या एक करणसिंह है जिसका खाला अप्राप्ति संख्या 3

उत्तराधिकार के ग्राम कारंगा बड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 35/3 रकबा 3 भूमि का रिकॉर्ड्ड खातेदार काश्तकार है जिसका खाला प्राप्ति के नाम बना हुआ है।



कतहपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
(11/06/2017)

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को खुले कौम कोट विरगिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कतहपुर सीकर (राज.)

अतः प्रार्थी कुरेडाराम आयु 66 वर्ष पुत्र मालराम जाति मेघवाल निवासी कराना बड़ा तहसील कतहपुर तहसील कतहपुर जिला सीकर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है।

आदेश

जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1956 खारिज किया जावगमन के लिए उसके द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प उपलब्ध है। अतः तहसीलदार कतहपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत ख. नं. 461 में 64 मीटर दूरी पर है। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं अर्थविधानक एवं लम्बा रास्ता है। इस रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता है। जो प्रार्थी तब की गयी। तहसीलदार, कतहपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के कटन खींच एड. नं. वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार, कतहपुर से रिपोर्ट संख्या 1.2 की ओर से श्री निरधारीलाल निर्मल एड0, अप्रार्थी संख्या 10.11 की ओर से श्रीमती प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थी

करमाया जावे कि वो उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद करे। रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जिस संबंध में तहसीलदार कतहपुर व पटवारी हल्का को आदेशित रूप में दिखाया गया है रास्ता कायम किया जाकर उक्त 15 फीट चौड़ा रास्ता को राजस्व को 10 फीट के बजाय 15 फीट चौड़ा रास्ता जिस संलग्न नक्शे में लाल रंग से क, ख, ग के खसरा नंबर 30 व 33/1 व 33/2 जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की कृषि भूमि में मौजूद है शम करणा बहा में स्थित कृषि खसरा नंबर 35/1, 35/2, 35/3 व खसरा नंबर 34 व 481 को शम करणा बहा में आने जाने का एकमात्र प्रचलित कदीमी 10 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी कुरेडाराम की कृषि भूमि खसरा नंबर

आदेश नंबर 1 से 11 दिनांक 08/06/2017 को इकर हो गये इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त